

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-1102/2025

पूनम कुमारी

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025

आदेश की दिनांक : 19.02.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

प्रत्यर्था विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में एएनएम के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण क्रम संख्या-199 पर उप स्वास्थ्य केन्द्र, खुडाना, जिला झुन्झुनू से उप स्वास्थ्य केन्द्र, केरावा, ब्लॉक सांकडा, जिला जैसलमेर में किया गया है एवं उसी आदेश में क्रम संख्या 205 पर अपीलार्थी का स्थानांतरण पीएचसी, खुडाना, ब्लॉक चिडावा, झुन्झुनू से पीएचसी, गरडिया, ब्लॉक रामसर, बाडमेर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे तर्क है कि अपीलार्थी के स्थान पर 2 कर्मचारी प्रत्यर्था संख्या-5 सुशीला सिंघल एवं प्रत्यर्था संख्या-6 सरोज को स्थानान्तरित किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी के स्थान पर भी 2 कार्मिकों का स्थानान्तरण किया गया है। इस प्रकार प्रत्यर्था विभाग द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये आलोच्य आदेश जारी किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश स्थगित किये जाने योग्य है।
3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के नोट संख्या-6 में यह अंकित किया गया है कि "किसी कार्मिक का एक से अधिक स्थानों पर/एक से अधिक सूची में स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में आदेश के क्रियान्वयन से पूर्व निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए।" अतः उक्त नोट से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का एक ही स्थानांतरण आदेश से दो भिन्न जगहों पर स्थानांतरण किया गया है तो ऐसी स्थिति में आदेशों के क्रियान्वयन से पूर्व निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। उपरोक्त नोट को दृष्टिगत रखते हुए इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी के संबंध में निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक अपीलार्थी को उसी स्थान पर कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश जारी किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)